राजेन्द्र कौर आदि **बनाम** रणधीर सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 188 आरटीए नम्बर 117 सन् 2016
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00383

...तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...10.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण के द्वारा के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 2 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा में अर्ज किया कि चक 2 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 में चक प्लान मुताबिक खाला स्वीकृत है व इसी खाला से प्रतिवादीगण को पानी दिया जाता है, जो कि काफी वर्षो से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त स्वीकृत स्थान पर ही पक्के खाला का निर्माण किया जा रहा है। इस आधार पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का वादकारण हासिल नहीं होता है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादीगण राजेन्द्र कौर पत्नी जगरूप सिंह, सर्वजीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र जगरूप सिंह राजस्व ग्राम 2 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नम्बर 37, 49 की कुल 9.487 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। परन्तु मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 4/2 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 की 0.025 हैक्टेयर भूमि की किस्म खाला दर्ज़ है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, संभाग बीकानेर, बीकानेर के द्वारा प्रकरण संख्या 79/2019, अनवान गुरजीत सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2025 के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के चक 2 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत खाला आदेश दिनांक 20.12.2018 को निरस्त फरमाया गया है। अतः वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत स्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वे राजस्व ग्राम 2 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं ... उपखण्ड अधिकारी ... (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजेन्द्र कौर आदि बनाम रणधीर सिंह आदि
वादपत्र धारा अन्तर्गत 188 आरटीए,
प्रकरण संख्याः-117/2016
निर्णय दिनांक :- 30.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत स्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वे राजस्व ग्राम 2 डब्ल्यू, पटवार हल्का 2 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 09/10 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि की मौका की यथास्थिति बनाए रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 30.10.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/804

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर